न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री बिजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
22/2021	111, 128 LRA	26.04.2024	27.06.2025

1.महावीर पुत्र श्री मेघाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. जमना पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
2. राजेन्द्र पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
3. रामस्वरूप पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
4. शिशराम पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
5. समन्दर पुत्र श्रवणराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
6. सुलतान पुत्र श्री मेघाराम जात जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
7. दिनेश कुमार पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
8. विक्रमसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी भामसी तहसील व जिला चूरू
9. नन्दराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी भामासी तहसील व जिला चूरू
10. रणवीर पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा तहसील व जिला चूरू
11. रिछपाल पुत्र फुलाराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा तहसील व जिला चूरू
12. नरेश कुमार कस्वां पुत्र किशनलाल जाति जाट निवासी गिनड़ी पट्टा लोहसणा तहसील चूरू
13. कुनणराम पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा तहसील व जिला चूरू
14. पवन कुमार पुत्र हरजीराम जाति जाट निवासी गिनडी पट्टा लोहणा तहसील व जिला चूरू
15. राजकुमार पुत्र कानाराम जाति ब्राह्मण निवासी गिनड़ी पट्टा लोहसणा तहसील व जिला चूरू
16. रामचन्द्र पुत्र कानाराम जाति ब्राह्मण निवासी गिनडी पट्टा लोहसणा तहसील व जिला चूरू
17. हीरालाल पुत्र कानाराम जाति ब्राह्मण निवासी गिनड़ी पट्टा लोहसणा तहसील व जिला चूरू
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

– अप्रार्थी–

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिहाग प्रार्थी
2 पैरोकार राज

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible]97 तादादी 4.5148 हैक्टेयर रोही मौजा गिनड़ी पट्टा लोहसणा तहसील [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:09 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि प्रार्थी की भूमि के चारों ओर तरफ 1 ता 16 की भूमि स्थित है अर्थात् अप्राथी संख्या 1 ता 16 प्रार्थी के चारों तरफ के पड़ौसी हैं इन लोगों ने प्रार्थी की कृषि भूमि के सीमा चिन्ह मिटा रखे हैं जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य हर समय आपस में सीमा को लेकर तनाव व झगड़ा फसाद होता रहता है।

3. यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को कई बार कहा व कहलवाया कि वो प्रार्थी की कृषि भूमि के सीमा चिह्न नही मिटायें परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने तथा उन्होने दिनांक 04.04.2021 को ऐसा करने से इन्कार हो गये जिस कारण प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी कृषि भूमि सीमांकन करवा कर पत्थर गढी करवा ले जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

4. यह कि प्रार्थी की कृषि भूमि चूरू तहसील में स्थित होने के कारण यह प्रार्थना पत्र हर लिहाज से माननी न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से पेश किया जा रहा है।

5. यह कि पत्थर गढी का खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद वाजिब न्याय शुल्क पर पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 564/297 तादादी 4.5148 हैक्टे. रोही मौजा गिनड़ी पट्टा लोहसणा की चारों सीमाओं का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवानें का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरियें सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 से 14, 16, 17 पर विधिवत् तामील होने के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आने से इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र राजपुरोहित ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पेश किया जो इस प्रकार है।

यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 01 में अंकित तथ्य इन्कार नहीं है। मद संख्या 02 में अंकित तथ्य प्रार्थना पत्र को रंग देने के उद्येश्य के गलत अंकित किये गये है। यह कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 03 में अंकित तथ्य निराधार गतल झुठ होने से अस्वीकार है मद संख्या 04, 05, 06 में अंकित तथ्य कानूनी होने से जबाब तलब नहीं है।

विशेष है कि अप्रार्थी उतरदाता व उसके भाई पवन, रामचन्द्र, हीरालाल की संयुक्त खाता की जीम पूरानी सदामत से चली आ रही है जिसकी सींव पुख्ता बनी हुई है ना ही कोई तनाव तनाजा है तथा ना ही प्रार्थी का रकाबा कम है प्रार्थी कई बार नपती करा चुका है मत्र परेशन करने की गर्ज से पेश किया गया है [illegible] काबिल है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का [illegible] फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:09 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि उसकी कृषि भूमि खसरा संख्या 564/297, रकबा 4.5148 हैक्टेयर, रोही मौजा गिनडी पट्टा लोहसाणा, तहसील व जिला चूरू स्थित है। प्रार्थी का कहना है कि उसकी भूमि चारों ओर से अन्य कृषकों की भूमि से घिरी हुई है, और सीमा निर्धारण स्पष्ट नही होने से आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रार्थी ने न्यायालय से भूमि सीमांकन करवा कर पत्थर गढ़ी करवाने हेतु आदेश पारित करने की प्रार्थना की है, जिसका वह स्वयं व्यय वहन करने को तैयार है।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्र राजपुरोहित ने जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र को तथ्यों से परे बताया है और कहा कि: विवादित भूमि संयुक्त खातेदारों की है, पूर्व से सीमांकन हो चुका है। प्रार्थी द्वारा कोई नया विवाद नहीं बताया गया है, केवल बार–बार नपती कराने का प्रयास कर रहा है। प्रार्थी का रकबा भी कम नहीं किया गया है और किसी प्रकार का तनाव या भूमि संघर्ष नहीं है। प्रार्थी द्वारा दी गई सीमावर्ती खातेदारों की सूची भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्रार्थी की भूमि कृषि भूमि है और स्पष्ट सीमांकन न होने के कारण विवाद उत्पन्न हो रहा है, ऐसा प्रार्थना पत्र में कहा गया है। प्रार्थी द्वारा यह भी कहा गया है कि वह पत्थर गढ़ी का व्यय स्वयं उठाने को तैयार है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सीमांकन उसकी आवश्यकता है। हालांकि प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि पहले से सीमांकन हो चुका है, लेकिन ऐसी कोई प्रमाणिक राजस्व रिकॉर्ड की नकल या सीमांकन रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। भूमि विवादों की स्थिति को स्थायी रूप से निवारण हेतु सीमांकन करवा कर सीमा रेखाएं निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 एवं 128 के अंतर्गत खातेदार अपनी भूमि की सीमांकन एवं पत्थरगढी के लिए सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि कृषि भूमि खसरा संख्या 564/297, रकबा 4.5148 हैक्टेयर, रोही मौजा गिनडी प[illegible]णा पटवार हल्का सहजूसर, तहसील व जिला चूरू का सीमांकन एवं पु[illegible]ए। इस हेतु राजस्व विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:09 IST
Reason: SelfAttested

के अधीन एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार / नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 18 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(विजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:32:09 IST
Reason: SelfAttested